



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग


क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2020

जयपुर, दिनांक : 21-11-2020

आज्ञा

डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस., अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर का स्थानान्तरण / पदस्थापन सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर के रिक्त पद पर एतद्वारा तुरंत प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तिय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 सिस्टम-एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संयुक्त शासन सचिव